**(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)**

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

**अधिसूचना सं0 09 /2015–2020**

नई दिल्ली, दिनांकः 8 जून, 2017

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) की आयात नीति के सम्बंध में सामान्य टिप्पणी के पैरा 9 (ख) में संशोधन।

सा० आ०(अ०): समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) की आयात नीति के सम्बंध में सामान्य टिप्पणी के पैरा 9 (ख) में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

| **आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) की आयात नीति के सम्बंध में सामान्य टिप्पणी का मौजूदा पैरा 9 (ख)** | **आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) की आयात नीति से सम्बंधित सामान्य टिप्पणी का संशोधित पैरा 9 (ख)** |
|---|---|
| <u>(ख) एवियन इन्फ्लूएंजा के कारण आयातों पर प्रतिबंधः</u><br>देखे गए एवियन इन्फ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा दोनों) को देखते हुए भारत में सभी देशों से निम्नलिखित पशु–धन और पशु–धन उत्पादों का आयात प्रतिबंधित रहेगाः<br>(i) घरेलू और जंगली पक्षी (कुक्कुट और कैद में रखे जाने वाले पक्षियों को छोडकर)<br>(ii) असंसाधित मांस और मांस उत्पाद जंगली पक्षियों (कुक्कुट के अलावा) सहित एवियन प्रजातियों से<br>(iii) घरेलू और जंगली पक्षियों (कुक्कुट के शुक्राणु के अलावा) के शुक्राणु। | <u>(ख) कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का आयातः</u><br>भारत में कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का आयात पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 और 3क के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी समय–समय पर यथा संशोधित सा.आ. 2337 (अ.), दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अनुसार विनियमित होगा। |

| | |
|---|---|
| इसके अलावा, केन्द्र सरकार, निम्नलिखित पशु–धन और पशु–धन उत्पादों, नामतः देखे गए एवियन इन्फ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा दोनों को) सूचित करने वाले देशों से भारत में आयात को प्रतिबंधित करती हैः–<br>(क) जीवित कुक्कुट और कैदी पक्षी;<br>(ख) एक दिन के चूजें, बत्तखें, पेरू और अन्य नवजात पक्षियों की प्रजातियां;<br>(ग) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का असंसाधित मांस और मांस उत्पाद;<br>(घ) अण्डे सेने की क्रिया;<br>(ड.) अण्डे और अण्डे के उत्पाद (विशिष्ट पैथोजन मुक्त अण्डे छोडकर) ;<br>(च) असंसाधित पंख;<br>(छ) जीवित सुअर;<br>(ज) पक्षियों से मिलने वाली रोग विज्ञान संबंधी सामग्री और जैविक उत्पाद;<br>(झ) पशुओं को खिलाने अथवा कृषि अथवा औद्योगिक प्रयोग के लिए पशुओं से प्राप्त (पक्षियों से) उत्पाद;<br>(ञ) कुक्कुट के शुक्राणु। | |

2. <u>**इस अधिसूचना का प्रभावः**</u> <u>**कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों**</u> की आयात नीति संशोधित की जाती है और यह पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत जारी, समय–समय पर यथा संशोधित सां.आ. 2337 (अ.), दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अनुसार विनियमित होगी।

अजय भल्ला

(ए.के.भल्ला)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई–मेलः– dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/विविध–77/एएम–04/पीसी–2 (क) से जारी)